

पर्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 07/2024

अनुदान :

1. शिवदान पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी मिर्जावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम्

2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री महेश गौड :-वादीया
2 राजपैरोकार

डिक्री

दिनांक 29/11/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री रूपराम कासनिया व राजपैरोकार अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं० 13 एजी ए के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 62/57 में अंकित वादी का नाम श्योदान को दुरुस्त कर श्योदान के स्थान पर सही नाम शिवदान अंकित किए जाने के आदेश दिये जाते है। अगर प्रार्थी पर कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

